10

आयकर विवरणी दाखिल करने व स्वयं कर–निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान

[PROVISIONS FOR FILING RETURN OF INCOME AND SELF ASSESSMENT]

अध्ययन परिणाम (Learning Outcomes)
इस अध्याय के पश्चात आप जान पायेंगे कि : ❑ आय की विवरणी के रूप में समझना। ❑ उन व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें **अनिवार्यता** आयकर विवरणी फाइल करनी है। ❑ आय की विवरणी फाइल करने विभिन्न करदाताओं के लिए नियत तिथियाँ। ❑ देरी से विवरणी फाइल करने के परिणाम। ❑ देरी से विवरणी फाइल करने पर ब्याज की गणना। ❑ देरी से आय विवरणी फाइल करने के लिए फीस की गणना। ❑ सराहना करना जब आय की विवरणी संशोधित की जा सकती है और समय–सीमा जिसके भीतर विवरणी को संशोधित किया जाएगा। ❑ उनको जानना जिन व्यक्तियों को स्थायी खाता संख्या लेने के लिए आवश्यकता है। ❑ उन लेनदेनों को पहचानना जिनके सम्बन्ध में पीएएन उद्धवरण करना आवश्यक है। ❑ उन लोगों की सराहना करें, जो कर विवरणी तैयार करने वाले के माध्यम से विवरणी दाखिल कर सकते हैं; ❑ विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न निर्धारिती के मामले में उन व्यक्तियों को पहचानना जो दाखिल की गयी आय की विवरणी को दाखिल करने के लिए अधिकृत हैं। ❑ आय की विवरणी प्रस्तुत करने से पर्व स्वतः निर्धारित कर के भुगतान की आवश्यकताओं की सराहना करना। ❑ स्वतः निर्धारिती कर, शुल्क और ब्याज के अधीन निर्धारिती द्वारा भुगतान की गयी राशि के समायोजना के क्रम की सराहना करना।

© The Institute of Chartered Accountants of India

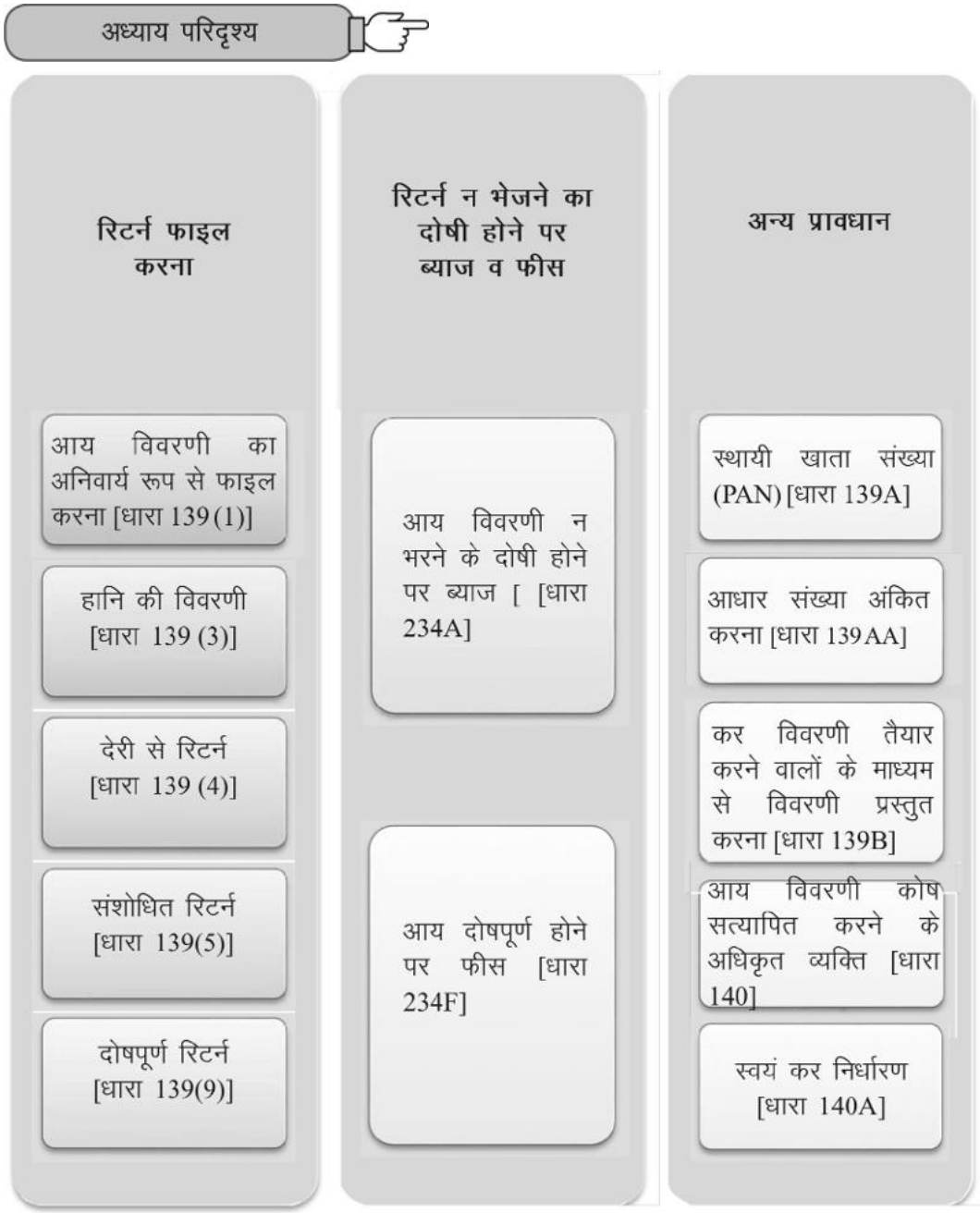

1. आय विवरणी (Return of Income)

आयकर अधिनियम, 1961 में विवरणी फाइल करने के प्रावधान हैं। आय विवरणी वह प्रारूप है जिसमें करदाता अपनी कुल आय व देय कर की सूचना प्रदान करता है। विभिन्न करदाताओं द्वारा आय विवरणी का प्रारूप CBDT अधिसूचित करता है। विभिन्न शीर्षकों में अर्जित आय, सकल कुल आय,

© The Institute of Chartered Accountants of India

सकल आय से कटौतियाँ, कुल आय तथा देय कर को आय विवरणी में कर दाता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेप में, आय विवरणी कर दाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय की घोषणा है।

2. आय विवरणी का अनिवार्य रूप से भरा जाना (धारा 139(1)) [Compulsory Filing of Return of Income {Section 139(1)}]

(1) धारा 139(1) के अनुसार कम्पनी व फर्म के लिए प्रत्येक गतवर्ष की निर्धारित तिथि से पूर्व निर्धारित प्रारूप में आय या हानि की विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(2) कम्पनी या फर्म से भिन्न व्यक्ति की दशा में नियत तिथि से पूर्व विवरणी भरना अनिवार्य है, यदि उसकी कुल आय अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके लिए वह गतवर्ष में कर निर्धारण योग्य है व कर योग्य सीमा से अधिक है।

(3) यदि किसी व्यक्ति को असाधारण निवासी होने के कारण धारा 6(6) के अर्थ में, जिसे धारा 139(1) में आय विवरणी भरने की आवश्यकता नहीं हो तो उसे गतवर्ष में नियत तिथि से पूर्व, निर्धारित विधि से सत्यापित करके गतवर्ष के दौरान किसी समय आय विवरणी भरनी होगी यदि उसके पास,

(a) कोई सम्पत्ति है जिसका वह लाभकारी स्वामी है (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) जो भारत से बाहर स्थित हो या भारत से बाहर किसी खाते का अधिकृत हस्ताक्षरी है; या

(b) भारत से बाहर स्थित किसी सम्पत्ति (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) का लाभार्थी है।

लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो उस सम्पत्ति का लाभार्थी है (किसी संस्था में वित्तीय हित) सहित जो भारत से बाहर स्थित है उसे धारा 39(1) के चौथे उप वाक्य के अन्तर्गत रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी आय ऊपर (a) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की आय में अधिनियम प्रावधानों के अनुरूप शामिल है।

किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा 139 के उद्देश्य से लाभकारी स्वामी व लाभार्थी होने का आशय :

लाभकारी स्वामी	वह व्यक्ति जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या स्वयं के तुरंत या भावी लाभ हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति का प्रतिफल अदा किया हो
लाभार्थी	वह व्यक्ति जो गत वर्ष में सम्पत्ति से गत वर्ष में लाभ प्राप्त करता है तथा उसका प्रतिफल लाभार्थी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति ने अदा किया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 139(1) चौथे व पाँचवें प्रावधान के अनुरूप आय–विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता

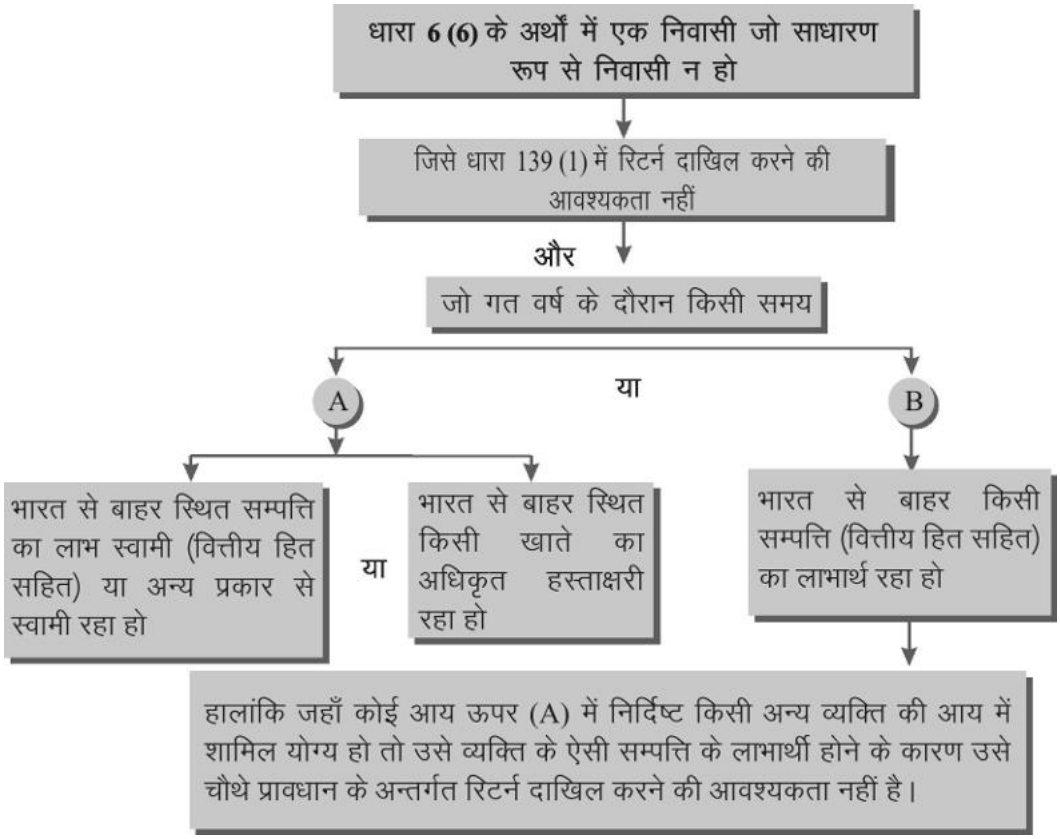

(4) इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति जो HUF या BOI या AOP या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हो–

- जिसकी कुल आय या अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के तहत गत वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य है।
- धारा 54/54B/54D/54EC or 54F[1] या अभ्यास VI-A के प्रावधानों को प्रभावी किये बिना।
- आधारभूत कर मुक्त सीमा से अधिक हो

तो उसे अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय विवरणी निर्धारित तिथि से पहले निर्धारित प्रारूप में निर्धारित विधि से सभी विवरण प्रस्तुत करते हुए दाखिल करनी होगी।

व्यक्ति / HUF / AOP / BOI और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिये मूल छूट की सीमा ₹ 2,50,000 होगी, 80 वर्ष से कम और 60 वर्ष की उम्र के निवासी व्यक्ति के लिए ₹ 3,00,000 और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निवासी व्यक्ति के लिए ₹ 5,00,000 गत वर्ष के दौरान किसी भी समय। यह राशि कुल आय के स्तर को दर्शाती है, जो पूंजीगत लाभ के

[1] या 54G या 54GB. (यह धाराएं अन्तिम स्तर पर विस्तृत में वितरित की जाएंगी)

© The Institute of Chartered Accountants of India

सम्बन्ध में धारा 54/54B/54D/54EC या 54F के तहत छूट और अध्याय VI-A के तहत कटौती के दावे के बाद आती है। हालांकि, धारा 54/54B/54D/54EC/54F के तहत अपवाद और अध्याय VI-A के तहत स्वीकृत कटौती का दावा करने से पूर्व आय, आय की विवरणी दाखिल करने से पूर्व कुल आय मानी जाएगी।

(5) फर्म या कम्पनी के अलावा कोई व्यक्ति जिसे धारा 139(1) के तहत विवरणी दाखिल करना आवश्यक नहीं होता है, उसे देय तिथि को या उससे पूर्व निर्दिष्ट फॉर्म और तरीके में आयकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक होता है, यदि वह व्यक्ति गत वर्ष के दौरान—

(a) सहकारी बैंक या बैंकिंग कम्पनी के साथ एक या एक से अधिक चालू खाता बनाए रखने में ₹ 1 करोड़ से अधिक राशि का कुल या राशि जमा करेगा; या

(b) विदेशी कम्पनी के लिए यात्रा के लिए किसी अन्य व्यक्ति या स्वयं के लिए ₹ 2 लाख से अधिक की राशि का योग या एक राशि का व्यय व्ययित करेगा; या

(c) विद्युत के सेवन के प्रति ₹ 1 लाख से अधिक राशि का योग या कोई राशि व्ययित करेगा; या

(d) ऐसी अन्य निर्दिष्ट शर्तें पूरी करेगा।

(5) उपर्युक्त (1) से (5) में सूचित ऐसे समस्त व्यक्ति देय तिथि को या उससे पूर्व ऐसे अन्य विवरण जैसा भी निर्दिष्ट हो और निर्दिष्ट तरीके में सत्यापित और निर्दिष्ट फॉर्म में गत वर्ष के दौरान ऐसे अन्य व्यक्ति की आय या अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

देय तिथि का अर्थ (Meaning of Due Date) :

(i) कर निर्धारण वर्ष की 30 सितम्बर, जहाँ अन्य निर्धारिती जो नीचे (ii) में संदर्भित कर उनके अलावा कर निर्धारिती

(a) एक कम्पनी

(b) एक व्यक्ति (कम्पनी के अतिरिक्त) जिसके खातों का अंकेक्षण आयकर अधिनियम, 1961 या अन्य किसी प्रचलित कानून के अन्तर्गत होता हो; या

(c) फर्म का साझेदार जिसके खातों का अंकेक्षण 1961 अधिनियम आयकर या अन्य किसी कानून के अन्तर्गत आवश्यक हो

(ii) उस करदाता की दशा में 30 नवम्बर जिसे 92E में संदर्भित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।

(iii) अन्य किसी करदाता की दशा में कर निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई।

नोट : धारा 92E इण्टरमीडिएट पेपर 4 : कराधान के क्षेत्र में नहीं आती। ऐसे करदाता जिन्हें 92E में रिपोर्ट (जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय लेन–देन किए हों) प्रस्तुत करनी है उनके लिए धारा 139(1) में भिन्न नियत तिथियाँ हैं। अतः धारा 139(1) के प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए 92E धारा का सन्दर्भ दिया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 1

पारस भारत में निवासी है F.Y. 2019-20 में ₹ 2,88,000 की ब्याज उसके अनिवासी (बाह्य) SBI खाते में क्रेडिट हुई SBI के स्थायी खाता पर ₹ 30,000. का ब्याज SBI बचत खाते में क्रेडिट हुआ। इस बचत खाते पर ब्याज ₹ 3,000 अर्जित किए। क्या पारस को आय विवरणी दाखिल करनी होगी? आपका उत्तर क्या होगा यदि वह कुछ समय के लिए शादीशुदा बेटी के साथ रहने के लिए यूएस के स्वयं और जीवनसाथी के साथ ₹3 लाख का यात्रा व्यय व्ययित करते हैं।

हल (Solution)

एक व्यक्ति को धारा 139(1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यदि उसकी कुल आय धारा 54/54B/54D/54EC या 54F या धारा के तहत कटौती या अध्याय VI-A के तहत कटौती को प्रभावित करने से पूर्व कर के लिए प्रभार्य अधिकतम राशि अर्थात् ₹ 2.5 लाख से (कर A.Y. 2020-21 के लिए) से अधिक होगी।

A.Y. 2020-21 के लिए पारस की कुल आय की गणना अन्य स्रोतों से आय

विवरण	₹
अन्य स्रोतों से आय अनिवासी (बाह्य) खाते में अर्जित ब्याज ₹ 2,88,000	शून्य
(यह मानते हुए कि RBI ने खाता रखने की अनुमति दे दी है ,यह आय धारा 10 (4) (ii) में कर मुक्त है)	
SBI के स्थायी खाते पर ब्याज	30,000
बचत खाते पर ब्याज	3,000
सकल कुल आय	**33,000**
घटाओ : धारा 80TTA की कटौती (बचत खाते का ब्याज)	3,000
कुल आय	**30,000**

क्योंकि पारस की कुल आय (अध्याय VIA की कटौती A.Y. 2020-21 से पहले) छूट सीमा से कम है। अतः पारस को A.Y. 2020-21 की रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

Note : In the above solution, interest of ₹ 2,88,000 earned from Non-resident (External) account has been taken as exempt on the assumption that Mr. Paras, a resident, has been permitted by RBI to maintain the aforesaid account. However, in case he has not been so permitted, the said interest would be taxable. In such a case, his total income, before giving effect, inter alia, to the deductions under Chapter Vi-A, would be ₹ 3,21,000 (₹ 30,000 + ₹ 2,88,000 + ₹ 3,000), which is higher than the basic exemption limit of ₹ 2,50,000. Consequently, he would be required to file return of income for A.Y. 2020-21.

यदि वह स्वयं और जीवन साथी की विदेश यात्रा पर ₹ 3 लाख का व्यय व्ययित करेगा, उसे आवश्यक रूप से धारा 139(1) के तहत देय तिथि को या उससे पूर्व आय की विवरणी दाखिल करनी होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर ब्याज (धारा 234A) [Interest for Default in Furnishing Return of Income (Section 234A)]

(1) धारा 139(1) के अन्तर्गत नियत तिथि को उससे पूर्व रिटर्न दाखिल न करने या नियत तिथि के बाद में दाखिल करने पर धारा 234A में ब्याज देय होगा। अर्थात् ब्याज देय होगी जहां कोई निर्धारिती देय तिथि के बाद आय की विवरणी दाखिल करता है या आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है।

(2) नियत तिथि से तुरन्त शुरू करके निम्न दिनांकों के अन्त तक की अवधि के लिए 1% प्रति माह या उसके भाग के लिए ब्याज देय होगा।

परिस्थितियाँ	निम्न दिनांक के अन्त में
जहाँ रिटर्न नियत तिथि के बाद प्रस्तुत की जाए	रिटर्न प्रस्तुति का दिनांक
रिटर्न प्रस्तुत न करना	कर निर्धारण की तिथि पूर्ण होने पर

(3) ब्याज की गणना धारा 143(1) के अनुरूप निर्धारित कुल आय के नियमित कर निर्धारण पर होगी जिसमें से TDS व TCS को घटा देंगे या स्रोत पर संगृहीत या कटौती का कोई कर और कोई अग्रिम भुगतान, धारा 89 के तहत स्वीकृत कर की कोई सुविधा द्वारा नियमित कर निर्धारण पर।

(4) करदाता द्वारा धारा 234A के अन्तर्गत स्व–कर निर्धारण कर भुगतान की नियत तिथि या उसके पूर्व करने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(5) धारा 234A के तहत देय ब्याज को ब्याज द्वारा घटाया जाएगा, यदि धारा 234A के तहत प्रभार्य ब्याज के प्रति धारा 140A के तहत स्वयं कर निर्धारण पर भुगतान की गयी है।

नोट : धारा 143(1) के अनुसार, यदि अग्रिम कर TDS,TCS व स्वयं कर निर्धारण के समायोजन के बाद कोई ब्याज देय हो तो धारा 156 के अन्तर्गत कर दाता के एक नोटिस भेजा जाएगा। यदि रिटर्न के आधार पर कोई कर वापसी देय है, तो उसे कर दाता को भेजकर इसकी सूचना भेज दी जाएगी। यदि कोई रिफंड देय नहीं है तो रिटर्न की स्वीकृति धारा 156 अन्तर्गत मानी जाएगी।

4. आय रिटर्न न प्रस्तुत करने की फीस (धारा 234F) [Fee for Default in Furnishing Return of Income (Section 234F)]

निर्धारित अवधि में यदि कोई व्यक्ति धारा 139(1) के अन्तर्गत रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे फीस के रूप में निम्न राशि भुगतान करनी होगी–

फीस	परिस्थितियाँ या पहले
₹ 5,000	यदि रिटर्न कर निर्धारण वर्ष में 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत की जाती है।
₹ 10,000	अन्य किसी दशा में
लेकिन यदि व्यक्ति की आय ₹ 5 लाख से अधिक न हो तो फीस की राशि ₹ 1,000 से अधिक न होगी।	

© The Institute of Chartered Accountants of India

5. नियोक्ता को आय विवरणी प्रस्तुत करने का विकल्प [धारा 139 (1A)] [Option to Furnish Return of Income to Employer {Section 139(1A)}]

(1) वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आय वाले करदाता को यह विकल्प दिया गया है कि वह आय विवरणी किसी गतवर्ष के लिए CBDT की योजना अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन अपने नियोक्ता को प्रस्तुत कर सकता है।

(2) ऐसा नियोक्ता उसके द्वारा प्राप्त आय विवरणियों को नियत तिथि या इससे पूर्व ऐसे प्रारूप में फ्लॉपी,डिस्क, मेगनेटिक टेप, CD ROM या अन्य किसी कम्प्यूटर पाठ्य मीडिया) निर्धारित विधि से प्रस्तुत करेगा।

(3) इस दशा में जिस कर्मचारी ने नियोक्ता को आय विवरणी प्रस्तुत कर दी हो उसे धारा 139 (1) में आय विवरणी प्रस्तुत माना जायेगा।

6. व्यक्तियों के निर्दिष्ट वर्ग/वर्गों को आय विवरणी प्रस्तुत करने की छूट [धारा 139 (1C)] [Specified Class or Classes of Persons to be Exempted from Filing Return of Income { (Section 139(1C)}]

(1) धारा 139(1) के अन्तर्गत में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को निर्धारित तिथि या पूर्व रिटर्न प्रस्तुत करना होगा जिसकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक है।

(2) छोटे कर दाताओं के भार को कम करने के लिए केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया हैं कि वह रिटर्न फाइल करने की निर्धारित शर्तों को पूरा करने से किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को छूट दे सकती है।

(3) 139(1C) के अन्तर्गत अधिसूचना को संसद सत्र के दौरान प्रत्येक सदन में 30 दिन के लिए रखा जाएगा। दोनों सदनों द्वारा किसी सुधार के बाद परिवर्तित रूप ही लागू होगा तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा अधिसूचना पर सहमति न देने पर अधिसूचना अप्रभावी होगी।

7. हानि का रिटर्न [धारा 139(3)] [Return of Loss {Section 139(3)}]

(1) इस धारा के अन्तर्गत आय विवरणी की तरह ही हानि का रिटर्न भी उसी विधि से नियत तिथि में प्रस्तुत करनी होगी धारा 139(1) के अन्तर्गत।

(2) धारा 80 में निम्नलिखित हानियों को आगे ले जाने के लिए धारा 139(1) के अन्तर्गत निर्धारित तिथि को या उसे पहले धारा 139(3) के अन्तर्गत हानि का रिटर्न अनिवार्य रूप से फाइल करना होगा।

(a) धारा 72(1) के अन्तर्गत हानि

(b) धारा 73(2) के अन्तर्गत में सट्टा व्यवसाय से हानि

(c) धारा 73A(2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि

© The Institute of Chartered Accountants of India

(d) पूँजी लाभ शीर्षक धारा 74(1) के अन्तर्गत से हानि।

(e) धारा 74A(3) के अन्तर्गत घुड़दौड़ के स्वामित्व एवं रखरखाव से हानि

(3) परिणामस्वरूप धारा 139(3) के अनुरूप ऊपर (2) में वर्णित विधि से हानि की रिटर्न फाइल करना हानियों को आगे ले जाने के दावों के लिए अनिवार्य है।

(4) लेकिन मकान सम्पत्ति से हानि धारा 71B के अन्तर्गत व अनावशोषित ह्रास धारा 32 के अन्तर्गत हानि की रिटर्न फाइल किए आगे ले जा सकते हैं।

(5) करदाता के अपने हित में है कि वह हानि का रिटर्न फाइल करे तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस न भेजना रिटर्न फाइल न करने का उचित बहाना नहीं होगा।

8. देरी से रिटर्न फाइल करना [धारा 139(4)] [Belated Return {Section 139(4)}]

कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे 139(1) के अन्तर्गत समय अवधि में रिटर्न फाइल करना हो, गतवर्ष की रिटर्न निम्न में से किसी समय फाइल कर सकता है :

(a) प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष के अन्त से पूर्व; या

(b) कर निर्धारण के पूरा होने से पूर्व, जो पहले हो।

9. संशोधित रिटर्न [धारा 139(5)] [Revised Return {Section 139(5)}]

धारा 139(1) अन्तर्गत रिटर्न भरने या धारा 139(4) के अन्तर्गत देरी से रिटर्न भरने के बाद यदि कोई मूल या अशुद्ध कथन का पता चले तो संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं समय है :

(i) प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व या

(ii) कर निर्धारण पूर्ण होने से पहले, जो पहले हों।

© The Institute of Chartered Accountants of India

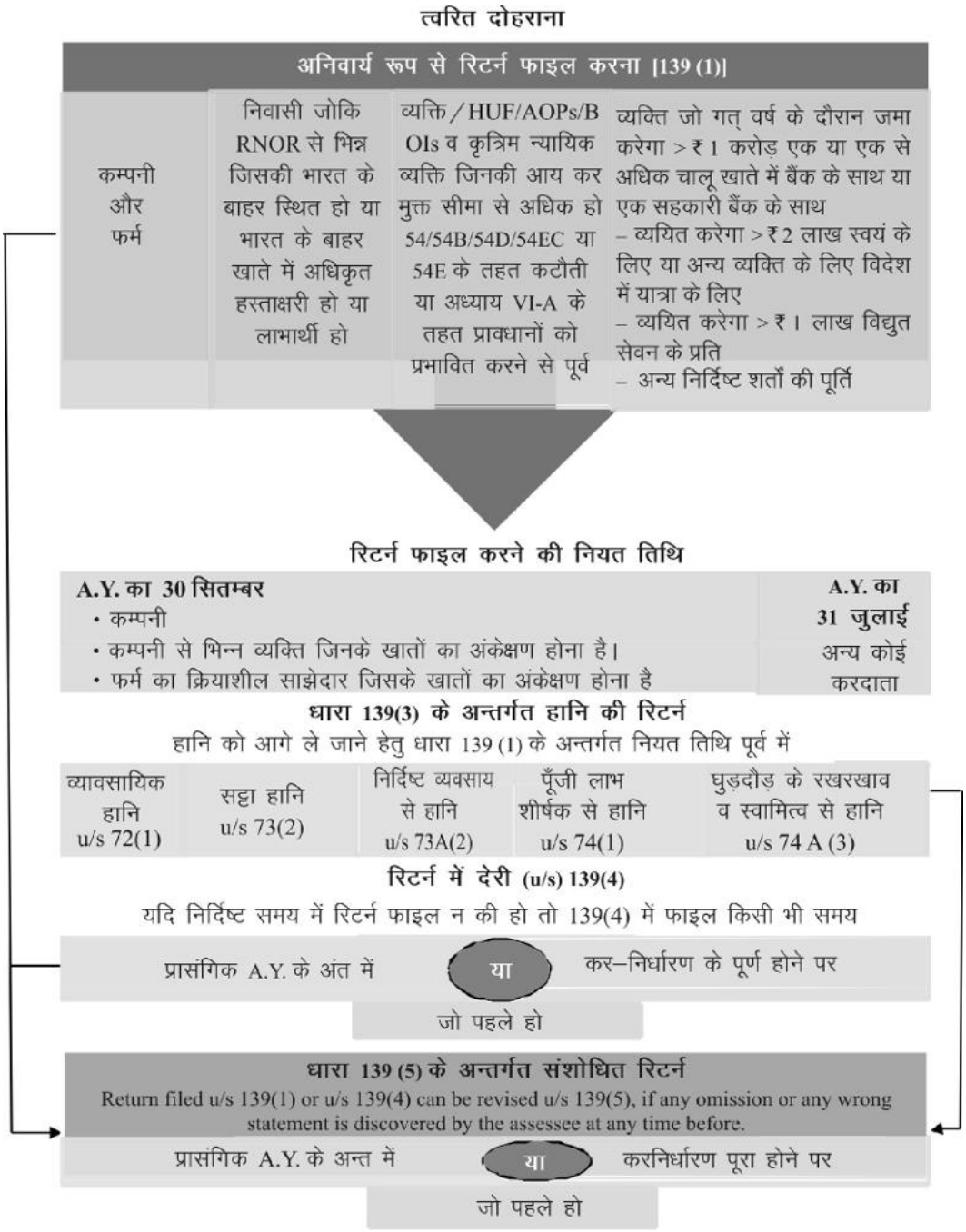

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 2

संक्षेप में कारणों सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्न दशाओं में आयकर अधिनियम धारा 1961 के धारा 139(5) के अन्तर्गत संशोधित रिटर्न फाइल की जा सकती है :

(i) धारा 139(4) के अन्तर्गत रिटर्न भरने में देरी।

(ii) धारा 139(5) पूर्व में संशोधित रिटर्न फाइल करने पर।

(iii) धारा 139(3) के अन्तर्गत हानि का रिटर्न फाइल किया।

हल (Solution)

कोई व्यक्ति जो धारा 139(3) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो धारा 139(1) या 139(4) के अन्तर्गत पूर्व में फाइल रिटर्न को प्रासंगिक कर निर्धारण की समाप्ति से पूर्व या कर निर्धारण के पूरा होने पर जो पहले हो। संशोधित रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। यदि वह पहले फाइल किये गये रिटर्न में कोई भूल या अशुद्ध कथन प्रकट करता है। तथानुसार

(i) 139(4) के अन्तर्गत देरी से रिटर्न को संशोधित कर सकते हैं।

(ii) पहले संशोधित किये गये रिटर्न को वास्तविक रिटर्न की जगह फिर से संशोधित किया जा सकता है। इसलिए, यदि कर निर्धारिती को इस तरह के संशोधित रिटर्न में किसी भूल या गलत बयान का पता लगता है, वह निर्धारित समय के भीतर दूसरा संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है अर्थात् प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति या कर निर्धारण पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो।

(iii) धारा 139(3) में हानि की रिटर्न को 139(1) में फाइल माना जाता है। अतः इसे भी 139(5) में संशोधित कर सकते हैं।

10. रिटर्न के साथ विवरण प्रस्तुत करना [धारा 139(6)] [Particulars to be Furnished with the Return {Section 139(6)}]

रिटर्न के निर्धारित प्रारूप में कुछ निर्दिष्ट मामले में करदाता को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने होंगे :

(i) कर मुक्त आय

(ii) निर्धारित प्रकृति की सम्पत्ति का मूल्य जिनका लाभकारी स्वामी हो या लाभार्थी हो

(iii) उसका बैंक खाता व क्रेडिट कार्ड जो उसके पास हो

(iv) निर्धारित शीर्षकों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक व्यय, और

(v) अन्य कोई जावक जो निर्धारित हो।

11. व्यवसाय या पेशे की आय की दशा में करदाता की आय विवरणी के विवरण [धारा 139(6A)] [Particulars to be Furnished with Return of Income in the case of an Assessee Engaged in Business or Profession {Section 139(6A)}]

व्यवसाय या पेशे की आय के सम्बन्ध में करदाता को निर्धारित प्रारूप में निम्न विवरण देने होंगे–

(i) धारा 44AB में संदर्भित ऑडिट रिपोर्ट

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) जहाँ वह व्यवसाय या पेशे का संचालन करता है वहाँ के मुख्य स्थान और उसकी सभी शाखाओं का पता एवं अन्य विवरण

(iii) यदि व्यवसाय या पेशे के साझेदार हैं तो उनके के नाम व पते

(iv) यदि करदाता किसी संघ का सदस्य हो या व्यक्तियों की संस्था का सदस्य हो

(a) संघ व संस्था के अन्य सदस्यों के नाम

(b) व्यवसाय या पेशे से लाभों में ऐसे सभी साझेदारों और सदस्यों का हिस्सा और निर्धारिती के हिस्सों की सीमा जैसा भी मामला हो।

12. दोषपूर्ण रिटर्न [धारा 139(9)] [Defective Return {Section 139(9)}]

(1) इस धारा के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी करदाता से दोषपूर्ण रिटर्न में संशोधन के लिए कह सकता है।

(2) यदि कर निर्धारण अधिकारी समझता है कि रिटर्न दोषपूर्ण है तो करदाता से उसे 15 दिन के अन्दर संशोधन के लिए कह सकता है तथा करदाता के प्रार्थना करने पर 15 दिन की अवधि को आगे बढ़ा सकता है।

(3) यदि 15 दिन या बढ़ी हुई अवधि में संशोधन न हो तो उसे अवैध रिटर्न माना जाएगा। इसका प्रभाव कर दाता द्वारा रिटर्न फाइल न करने जैसा होगा।

(4) करदाता द्वारा कमी दूर करने पर 15 दिन या बढ़ी हुई अवधि के बाद की देरी को समाप्त करके कर निर्धारण अधिकारी रिटर्न को वैध करार दे सकता है।

(5) रिटर्न तब तक दोषपूर्ण मानी जाएगी जब तक निम्न शर्तें पूरी न हों नामत :

(a) रिटर्न के संलग्नक, कथन व कॉलम जो प्रत्येक आय के शीर्षक से सम्बन्धित हों, सकल कुल आय व आय के सम्बन्ध में पूरी तरह भरना

(b) आय विवरणी के साथ निम्न प्रस्तुत किए हों :

(i) रिटर्न के आधार पर देय कर की गणना का विवरण दर्शाना

(ii) धारा 44AB के अन्तर्गत प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट (यदि रिपोर्ट आय विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व प्रस्तुत की गई हो तो उसकी कॉपी और उसका साक्ष्य)

(iii) कर से सम्बन्धित साक्ष्य यदि किसी ने दावा किया है। जिस सम्बन्ध में TDS, TCS या अग्रिम कर या स्वयं कर निर्धारण के दावे से सम्बन्धित भुगतान किया गया है। (लेकिन रिटर्न दोषपूर्ण नहीं मानी जाएगी यदि (a) TDS या TCS का प्रमाण पत्र धारा 203 या 206C अन्तर्गत प्रस्तुत न किया हो (b) इस प्रमाण पत्र को 2 वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कर दिया हो)

(iv) अनिवार्य जमा का साक्ष्य जिसका दावा अनिवार्य जमा योजना (आय करदाताओं) एक्ट 1974 के अन्तर्गत किया हो,

(c) जहाँ करदाता नियमित खाते रखता हो तो रिटर्न के साथ निम्न होंगे–

(i) निर्माणी खाता, व्यापारिक खाता, लाभ–हानि खाता, आय–व्यय खाता या अन्य कोई इसी प्रकार का खाता तथा चिट्ठे की प्रतिलिपि,

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) निम्न प्रकार व्यक्तिगत खातों का ब्यौरा–

1.	एकल व्यापार या पेश	स्वामी का व्यक्तिगत खाता
2.	फर्म/AOP/BOI	साझेदार या सदस्यों के व्यक्तिगत खाते
3.	व्यक्तियों का संघ या संस्था	फर्म में साझेदार का व्यक्तिगत खाता
	AOP या BOI फर्म के सदस्य और साझेदार	AOP व BIO और फर्म में सदस्यों के व्यक्तिगत खाते

(d) यदि कर दाता के खातों का ऑडिट हुआ हो तो ऐसे लाभ–हानि खाते व चिट्ठे के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट की प्रतिलिपि

(e) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अन्तर्गत लागत खातों जहां करदाता के साथ अंकेक्षक हुआ हो तो ऐसे लागत खातों और रिपोर्ट की प्रतिलिपि

(f) जहाँ कर दाता के खातों को नियमित रूप से न रखा जाता हो–

(i) निम्न को दर्शाते हुए विवरण

(1) कुल विक्रय या सकल प्राप्तियों की राशि

(2) सकल लाभ

(3) व्यय और

(4) व्यवसाय और पेशे का शुद्ध लाभ

जिस आधार पर

(ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित इस प्रकार की गणना की गयी है।

(iii) विविध देनदार, विविध लेनदार, रहतिया व रोकड़ शेषों की गतवर्ष की अन्तिम कुल राशि।

नोट : इनमें से अधिकतरण विवरण रिटर्न प्रारूप के भाग हैं। उदाहरण के लिए, TDS का TCS, अग्रिम स्व–कर निर्धारण कर का भुगतान सकल बिक्री इत्यादि।

13. स्थायी खाता संख्या (PAN) [धारा 139A] [Permanent Account Number (PAN) (Section 139A)]

(1) उप–धारा (1) में जिन व्यक्तियों को स्थायी खाता संख्या PAN नहीं दिया गया है, उन्हें कर निर्धारण अधिकारी को निर्धारित समय में PAN आबण्टन हेतु आवेदन करना है ।

(1)	(2)	(3)
	PAN के लिए आवेदन के लिए आवश्यक व्यक्ति	**ऐसे आवेदन करने के लिए समय सीमा**
(i)	प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसकी कुल आय या किसी व्यक्ति की कुल आय जिसके सम्बन्ध में किसी गत वर्ष के दौरान	कर निर्धारण वर्ष के 31 मई को या उससे पूर्व जिसके लिए वह आय आकलन योग्य है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	अधिनियम के तहत आकलन योग्य है, अधिकतम राशि से अधिक हैं, जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है।	
(ii)	कोई व्यवसाय या कोई पेशा चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल बिक्री, बिक्री या सकल प्राप्तियां किसी गत् वर्ष में ₹ 5 लाख से अधिक होंगी।	उस वित्तीय वर्ष (गत् वर्ष) की समाप्ति से पूर्व।
(iii)	निवासी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष में ₹ 2,50,000 की कुल राशि के वित्तीय लेन–देन में सम्मिलित होता है।	तुरंत आने वाले वित्तीय वर्ष की 31 मई या उससे पूर्व।
(iv)	प्रत्येक व्यक्ति जो एक प्रबंध, निदेशक, निदेशक, साझेदार, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऊपर (iv) में सन्दर्भित किसी व्यक्ति का कोई मुख्य अधिकारी या उपर्युक्त में सन्दर्भित किसी व्यक्ति के आधार पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति।	31 मई को या उससे तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष में जिससे (iii) में सन्दर्भित व्यक्ति यहां निर्दिष्ट वित्तीय लेन–देन में शामिल होगा।

(2) केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देशित कर सकती है कि किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों जिनके द्वारा इस अधिनियम या अन्य किसी वर्तमान कानून के अन्तर्गत कुछ समय के लिए प्रभाव के लिए कर या शुल्क कर देय है। ऐसे व्यक्तियों को PAN को देने के लिए कर निर्धारण अधिकारी को अधिसूचना में वर्णित समय के भीतर आवेदन देना होगा [उप धारा (1A)]।

(3) अधिनियम की किसी प्रासंगिक सूचना के लिए केन्द्र सरकार किसी भी वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग को सूचित कर सकती है, और ऐसे व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर PAN के आबंटन के लिए कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा।

(4) लेन–देन की प्रकृति को ध्यान में रखकर A.O. किसी व्यक्ति (चाहे कर देय हो या नहीं) को PAN का आबण्टन निर्धारित प्रक्रिया के बाद कर सकता है [उप–धारा 2]

(5) (1) से (4) में वर्णित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति PAN आबण्टन हेतु A.O. को आवेदन करे तो A.O. तुरन्त PAN का आबण्टन करेगा।

(6) इस PAN में 10 अक्षरांकीय कोड होते हैं।

(7) निम्नलिखित निर्धारित लेन–देन से संबन्धित सभी दस्तावेजों में PAN का चयन अनिवार्य है :

(a) किसी आय कर अधिकारी को किसी रिटर्न में तथा समस्त पत्र व्यवहार में

(b) अधिनियम के अधीन किसी राशि के भुगतान हेतु चालान में

© The Institute of Chartered Accountants of India

(c) उसके द्वारा दर्ज किये गये इस तरह के लेन–देन से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों में, राजस्व के हित के लिए CBDT द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में CBDT ने निम्नलिखित लेन–देन को अधिसूचित किया है :

क्र. स.	लेन–देन की प्रकृति	लेन–देन का मूल्य
1.	दुपहिया वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहन और मोटर वाहन के क्रय–विक्रय जिसका पंजीयन मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अधीन होता हो।	समस्त ऐसे लेन–देन
2.	किसी बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक (SL न. 12 में संदर्भित सावधि जमा खाता और साधारण बचत बैंक जमा खाता के अलावा) में जिसमें बैंकिंग नियमन एक्ट, 1949 लागू होता है। (किसी बैंक या बैंकिंग संस्था जो अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित) खाता खोलना	ऐसे समस्त लेन–देन
3.	किसी बैंक या सहकारी बैंक को (किसी बैंक या बैंकिंग संस्था जो धारा 51 में संदर्भित) जिसमें बैंकिंग एक्ट, 1949 लागू हो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन	ऐसे समस्त लेन–देन
4.	SEBI के अधिनियम धारा 12(1A) के अन्तर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति या प्रतिभूति संरक्षक साझेदार या जमाओं में डीमेट खाता खोलना।	ऐसे समस्त लेन–देन
5.	किसी होटल या रेस्टोरेंट के बिल या बिलों एक बार में भुगतान	₹ 50,000 से अधिक नकद भुगतान
6.	विदेशी यात्रा के सम्बन्ध में या विदेशी विनिमय के क्रय के सम्बन्ध में भुगतान	₹ 50,000 से अधिक राशि का नकद भुगतान
7.	किसी म्यूचुअल फण्ड को उसकी यूनिट्स क्रय के लिए भुगतान	₹ 50,000 से अधिक की राशि
8.	किसी संस्था द्वारा जारी बॉण्ड या ऋणपत्रों के क्रय हेतु भुगतान	₹ 50,000 से अधिक की राशि
9.	RBI द्वारा जारी बॉण्डों का भुगतान	₹ 50,000 से अधिक की राशि
10.	बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक में जमा (जिस पर बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 लागू हो, जो धारा 51 में वर्णित)	किसी एक दिवस में ₹ 50,000 से अधिक नकद जमा, या
11.	किसी बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक जिस	किसी एक दिवस में ₹ 50,000.

© The Institute of Chartered Accountants of India

	पर बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 लागू हो उन सभी बैंकों में धारा 51 अनुसार बैंक ड्राफ्ट /Po/ बैंकर चेक लेना	का नकद भुगतान
12.	(i) किसी बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग अधिनियम, 1949 लागू हो उसकी धारा 51 में वर्णित) में सावधि जमा (ii) पोस्ट ऑफिस में (iii) कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 406 में संदर्भित निधि (iv) कोई NBFC जिस पर RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA का पंजीयन प्रमाणपत्र हो जिसमें जनता से जमाओं को स्वीकार एवं रखने का अधिकार है।	₹ 50,000 से अधिक की राशि या एक वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 5 लाख से अधिक सकल राशि
13.	एक या एक से अधिक उपकरण का भुगतान, जैसा कि भुगतान प्रीपेड और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत प्रीपेड भुगतान उपकरणों को जारी करने और संचालित करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देशों में परिभाषित किया गया है (उस अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) या किसी अन्य कम्पनी या संस्थान में लागू होता है।	एक वित्तीय वर्ष में नकद या बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश या बैंकर के चेक द्वारा ₹ 50,000 से अधिक राशि का भुगतान।
14.	बीमा अधिनियम, 1938 में परिभाषित बीमाकर्ता को बीमा प्रीमियम का भुगतान	वित्त वर्ष में सकल भुगतान सकल राशि ₹ 50,000 से अधिक सकल राशि।
15.	प्रतिभूति अनुबन्ध नियमन अधिनियम की धारा 2(h) में परिभाषित प्रतिभूतियों (अंशों से भिन्न) का क्रय–विक्रय	प्रति लेन–देन ₹ 1 लाख की राशि
16.	किसी व्यक्ति के द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंज में गैर सूचीबद्ध कम्पनी के अंशों का क्रय–विक्रय	प्रति लेन–देन ₹ 1 लाख की राशि

© The Institute of Chartered Accountants of India

17.	अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय	₹ 10 लाख से अधिक की राशि ₹ 10 लाख की अधिक की राशि पर स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य धारा 50C में निर्दिष्ट है।
18.	किसी व्यक्ति द्वारा क्र.स. 1 से 17 में वर्णित वस्तु या सेवा से भिन्न वस्तु या सेवा का क्रय	₹ 2 लाख से अधिक की राशि प्रति लेन–देन

हालांकि, एक व्यक्ति को जब तक उसे PAN नहीं दिया जाता है सामान्य इन्डेक्स पंजीकरण संख्या डालना आवश्यक होगा।

अवयस्क को माता–पिता या संरक्षक के PAN को अंकित करना (Minor to quote PAN of parent or guardian)

एक अवयस्क व्यक्ति जिसकी कर योग्य आय न हो तथा **इस** नियम में संदर्भित किसी लेन–देन को करता है तो उसे लेन–देन के प्रलेख में अपने माता–पिता या संरक्षक का PAN अंकित करना होगा उन लेन–देन से सम्बन्धित दस्तावेजों में जैसा भी मामला हो।

पैन रहित व्यक्ति द्वारा घोषणा (Declaration by a person not having PAN)

PAN रहित व्यक्ति किसी लेन–देन को करते हुए प्रारूप 60 में विवरण भरकर निर्दिष्ट नियम के तहत लेन–देन करेगा।

उत्पादकों, डेटा संरचनाओं और मानकों के अनुसार कागज के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणन कोड के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस तरह के लेन–देन के विवरण आयकर प्रणाली के प्रधान महानिदेशक या आयकर (प्रणाली) के महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किये गये हैं।

नियम 114 B का लागू न होना (Non-applicability of Rule 114B)

निम्न वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों पर इस नियम के प्रावधान लागू न होंगे–

(i) केन्द्र व राज्य सरकार तथा वाणिज्यिक काउन्सल कार्यालय

(ii) गैर निवासी से सम्बन्ध में लेन–देन धारा 2(30) में संदर्भित तथा अन्य लेन–देन संदर्भित तालिका के क्रम संख्या 1 या 2 या 4 या 7 या 8 या 10 या 12 या 14 या 15 या 16 या 17 में दिये गये हैं।

कुछ वाक्यांशों का अर्थ (Meaning of certain phrases) :

	वाक्यांश	समावेश
(1)	यात्रा सम्बन्धी भुगतान	विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम, 1949 की धारा 2 (c) में परिभाषित ट्रेवल एजेंट या पर्यटक संचालक या कोई अधिकृत व्यक्ति को किराए का भुगतान
(2)	ट्रेवल एजेंट या पर्यटक संचालक	वह व्यक्ति जो वायु, भूतल या समुद्री यात्रा की व्यवस्था या रहने, टूर, मनोरंजन, पासपोर्ट, वीजा, विदेशी विनिमय,

© The Institute of Chartered Accountants of India

		यात्रा सम्बन्धी, बीमा या अन्य सेवाएं अलग–अलग या पैकेज में प्रदान करता है
(3)	सावधि जमा	जो जमा निश्चित समय पर पुनर्भुगतान योग्य है।

(8) यदि जिस आधार पर PAN मिला था, उस व्यवसाय के नाम, पते या व्यवसाय की प्रकृति में बदलाव आता है तो इसकी सूचना A.O. को देनी होगी।

(9) प्रत्येक व्यक्ति जो उपर्युक्त निर्दिष्ट किसी लेन–देन के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्राप्त करता है तो वह सुनिश्चित करेगा कि दस्तावेज में PAN या सामान्य इन्डेक्स पंजीकरण संख्या या आधार संख्या अंकित हो।

(10) TDS **करने वाले व्यक्ति PAN की सूचना देना**

किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी प्राप्ति करने पर जिससे TDS होना है, TDS के उत्तरदायी व्यक्ति को PAN उपलब्ध कराएगा। [उप–धारा (5A)

(11) **दस्तावेजों में PAN अंकित करना**

जहाँ किसी राशि का भुगतान TDS के बाद किया गया हो तो कटौतीकर्ता भुगतान प्राप्तकर्ता करने वाले व्यक्ति के PAN को निम्न दस्तावेजों में अंकित करेगा–

(i) धारा 192(2c) में प्रस्तुत विवरण जिसमें अनुलाभों या कर्मचारी को दिये गये वेतन के स्थान में लाभों का ब्यौरा होता है।

(ii) भुगतान प्राप्तकर्ता व्यक्ति के कर कटौती के सभी प्रमाण पत्रों में

(iii) धारा 206 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित रिटर्न में।

(iv) धारा 200(3) उप–धारा (5B) के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए या विवरण किए गए या वितरित किए गए सभी विवरणों के अनुसार

(12) **कुछ व्यक्तियों पर PAN की सूचना या PAN अंकित करने की अनिवार्यता का लागू न होना**

ऊपर वर्णित उपधारा **5A** व 5B उन व्यक्तियों पर लागू न होंगी जिनकी

(i) जिनकी कर–योग्य आय नहीं है, या

(ii) जिन्हें PAN लेने की आवश्यकता नहीं

यदि ऐसा व्यक्ति धारा 197A में घोषणा करे निर्धारित प्रारूप एवं विधि द्वारा कि उसकी गत वर्ष की अनुमानित आय पर कर की राशि शून्य है।

(13) **PAN की आधार के साथ परस्परता**

प्रत्येक व्यक्ति जिसे PAN अंकित करना या सूचित करना या प्रस्तुत करना आवश्यक होगा वह PAN की जगह अपना 1.09.2019 की प्रभावी तिथि से आधार नम्बर अंकित या सूचित या प्रस्तुत कर सकता है यदि उसे

— PAN नहीं दिया गया है लेकिन वह आधार नम्बर धारित करता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

— PAN दिया गया है और धारा 139AA(2) में निहित आवश्यकताओं के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकरण के लिए अपनी आधार संख्या सूचित किया गया है।

व्यक्ति को PAN निर्दिष्ट तरीके से दिया जाएगा जिसे PAN नहीं दिया गया है, लेकिन वह आधार सख्या धारित करता है।

(14) **PAN या आधार संख्या का उद्धरण या प्रमाणन**

(a) ऐसे लेन–देन में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति को PAN या आधार संख्या का उद्धरण करना आवश्यक होगा, जैसा भी मामला हो, इन लेन–देनों से सम्बन्धित दस्तावेजों में और साथ ही निर्दिष्ट तरीके से ऐसे PAN या आधार संख्या का प्रमाणन होगा।

(b) (a) में सन्दर्भित लेनदेन के लिए सम्बन्धित ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने वाले प्रत्येक को उस दस्तावेज में अंकित PAN या आधार संख्या सुनिश्चित करेगा तथा साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा PAN या आधार संख्या प्रमाणित होगी।

(15) **नियम बनाने का अधिकार**

CBDT निम्नलिखित के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए अधिकृत होगी :

(a) फार्म और तरीका जिसमें PAN का आवेदन किया जा सकता है और यहां पर दिए जाने वाले विवरण;

(b) लेन–देनों की श्रेणी जिनके सम्बन्ध में PAN या सामान्य इन्डेक्स पंजीकरण सख्या या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित दस्तावेज पर भी अंकित करना आवश्यक होगा;

(c) व्यवसाय या पेशे से सम्बन्धित दस्तावेजों की श्रेणी जिस पर PAN या सामान्य इन्डेक्स पंजीकरण संख्या या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अंकित किया जाएगा;

(d) व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जिस पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे;

(e) फार्म या तरीके जिसमें एक व्यक्ति जिसे PAN न दिया गया हो या सामान्य इन्डेक्स पंजीकरण संख्या की घोषणा हो;

(f) वह तरीका जिसमें PAN या सामान्य इन्डेक्स पंजीकरण संख्या या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, उपयुक्त (b) में लिखित लेनदेन के लिए अंकित होगा;

(g) समय और तरीका जिसमें ऐसे लेनदेन निर्दिष्ट प्राधिकरण को सूचित किए जाएंगे।

(16) **कुछ शब्दों के अर्थ**

	शब्द	अर्थ
(i)	आधार संख्या (Aadhar Number)	बायोमेट्रिक जानकारी या जनसांख्यिकी जानकारी की प्रप्ति पर अधिकरण द्वारा एक व्यक्ति जारी एक पहचान संख्या।
(ii)	प्रमाणन (Authentication)	प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का PAN या आधार संख्या जनसांख्यिकी

© The Institute of Chartered Accountants of India

		जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी के साथ आयकर प्राधिकरण या ऐसे अन्य निर्धारित प्राधिकारी या ऐजेन्सी को उसके सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा प्राधिकरण या एंजेसी शुद्धता इसके साथ उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके अभाव की पुष्टि करता है।
(iii)	सामान्य इन्डेक्स पंजीकरण संख्या (General Index Register Numbers)	एक अधिकारी को निर्धारिती द्वारा दिए गए नम्बर को सामान्य इंडेक्स रजिस्टर संख्या में रखा जाता है, जिसमें उसके द्वारा बनाए गए और बार्ड या सर्कल या निर्धारण अधिकारी की श्रेणी में विवरण होते हैं।

14. आधार संख्या का अंकित किया जाना [धारा 139AA] [Quoting of Aadhar Number (Section 139AA)]

(1.) आधार संख्या का अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना

प्रत्येक व्यक्ति जो आधार संख्या पाने का पात्र है उसे 1.07.2017 के बाद अनिवार्य रूप से आधार स. अंकित करनी होगी–

(a) PAN आवेदन हेतु पत्र में आधार

(b) आय विवरणी में

1.04.2019 को या उसके बाद दाखिल किए गए रिटर्न में आधार सख्या का उद्धरण अनिवार्य है [परिपत्र संख्या 6/2019 दिनांक 31.03.2019]

धारा 139AA(1) (ii) के अनुसार, 1.07.2017 से प्रभावी प्रत्येक व्यक्ति जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे आय की रिटर्न में आधार संख्या उद्धृत करना अनिवार्य है।

शीर्ष न्यायालय ने निर्णय की एक श्रृंखला में धारा 139AA की वैधता को बरकरार रखा है। नतीजतन, 01.04-2019 के प्रभाव से, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है, कि आय की रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या को उद्धृत करना अनिवार्य है जब तक कि विशेष रूप से धारा 139AA(3) के तहत जारी किसी भी अधिसूचना के अनुसार छूट न दी गई हो। [अगले पेज में बिन्दु संख्या (5) में विस्तृत] इस प्रकार, आधार नम्बर को उद्धृत किए बिना 1.04.2019 को या उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से या मैन्युअल रूप से रिटर्न को दाखिल नहीं किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2) **नामांकन आईडी को अनिवार्य उद्धरण, जहां व्यक्ति के पास आधार नम्बर नहीं है–**

यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नम्बर नहीं है, तो उसे स्थायी खाता संख्या आबंटन के लिये आवेदन पत्र में नामांकन के समय जारी किए गए आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी को उसके द्वारा दाखिल की गई आय की रिटर्न में उद्धृत करना आवश्यक है।

नामांकन आईडी का मतलब नामांकन के समय एक निवासी को जारी किया गया 28 अंकों का नामांकन पहचान संख्या है।

(3) **निर्धारित प्राधिकारी को आधार संख्या की सूचना**

प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, वह केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख पर या उससे पहले निर्धारित प्राधिकारी को अपना आधार नम्बर सूचित करेगा।

तदनुसार, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 31/2019 दिनांक 31.03.2019 को सूचित किया है, कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को स्थायी खाता संख्या आबंटित की गयी है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, 30 सितंबर 2019 तक प्रधान आधार डीजीआईटी (सिस्टम) या प्रधान आयकर निदेशक (सिस्टम) को अपना आधार संख्या देनी होगी।

यह अधिसूचना, हालांकि उन व्यक्तियों या इस तरह के व्यक्तियों या किसी भी राज्य या किसी भी राज्य के हिस्से पर लागू नहीं होगी, जो/जो विशेष रूप से धारा 139AA(3) के तहत बाहर रखा गया है। (नीचे बिन्दु (5) में विस्तृत)।

(4) **आधार संख्या को सूचित करने में विफलता के परिणाम**

यदि कोई व्यक्ति आधार संख्या को सूचित करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आबंटित स्थायी खाता संख्या (पैन) को निर्धारित तरीके से अधिसूचित तिथि के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(5) **प्रावधान कुछ व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए लागू नहीं होंगे।**

आधार संख्या के उद्धरण से संबंधित धारा 139AA के प्रावधान, हालांकि ऐसे व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों का वर्ग या किसी राज्य या किसी भी राज्य के हिस्से के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर लागू नहीं होंगे।

तदनुसार, केन्द्र सरकार ने 01.07.2017 से प्रभावी अधिसूचना संख्या 37/2017 दिनांक 11.05.2017 के अनुसार अधिसूचित किया है कि आधार संख्या के उद्धरण से सम्बन्धित धारा 139AA का प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जिसके पास नामांकन आईडी या आधार संख्या नहीं है :

(i) असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहते हैं;

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी;

(iii) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु;

(iv) भारत का नागरिक नहीं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

15. कर रिटर्न तैयार कर्ताओं द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करने की योजना [धारा 139B] [Scheme for Submission of Returns Through Tax Return Preparers (Section 139B)]

(1) यह धारा आय के रिटर्न को तैयार करने या प्रस्तुत करने के लिए किसी भी निर्दिष्ट वर्ग या वाक्यों को सक्षम करने के उद्देश्य से प्रदान करती है, CBDT एक योजना को अधिसूचित कर सकता है कि एसे व्यक्ति योजना के तहत अधिकृत कर रिटर्न तैयार कर्ताओं द्वारा अपनी आय का रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं।

(2) कर रिटर्न तैयारकर्ता इस योजना में निर्दिष्ट तरीके से रिटर्न प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की सहायता करेगा, और इस तरह के रिटर्न पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा।

(3) TRP निम्न से भिन्न व्यक्ति हो सकता है–

(i) एक अनुसूचित बैंक का अधिकारी जिसके साथ करदाता ने चालू खाता रखा है तथा अन्य लेन–देन भी करता है।

(ii) कोई कानूनी पेशावर जो भारत में किसी सिविल कोर्ट में कार्य करता हो।

(iii) चार्टर्ड एकाउंटैण्ट

(iv) विशिष्ट वर्ग या व्यक्ति के वर्ग का कर्मचारी

(4) विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति के वर्ग तात्पर्य है कम्पनी से भिन्न कोई व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसके खाते धारा 44 AB या अन्य किसी कानून के अन्तर्गत में अंकेक्षित हों या जिसे अधिनियम के अन्तर्गत रिटर्न भरना है।

(5) इस धारा अन्तर्गत अधिसूचित योजना में निम्न बातें हो सकती हैं,

(i) जिस विधि तथा जिस अवधि हेतु TRP अधिकृत होगा,

(ii) एक व्यक्ति द्वारा TRP बनने के लिए शैक्षिक योग्यता व प्रशिक्षण तथा अन्य शर्तों की पूर्ति,

(iii) TRP के लिए आचरण संहिता,

(iv) TRP के कर्त्तव्य व दायित्व,

(v) वे परिस्थितियाँ जिनमें TRP के अधिकार समाप्त हो सकते हैं।

(vi) अन्य कोई प्रासंगिक मामला जो योजना में अधिसूचित हो।

(6) तदानुसार CBDT ने इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कर रिटर्न तैयार कर्ता योजना 2006 को लागू किया, जो 1.12.2006 से लागू होती है।

विवरण	विषय
योजना की प्रयोज्यता	योजना सभी योग्य व्यक्तियों के लिए लागू है।
योग्य व्यक्ति	कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार है।
कर रिटर्न तैयारकर्ता	इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसे इस योजना के तहत

© The Institute of Chartered Accountants of India

	पेशा करने के लिए साझेदार संगठन द्वारा "कर रिटर्न तैयारकर्ता प्रमाणपत्र" या "विशिष्ट पहचान संख्या" जारी की हो। हालांकि, निम्नलिखित व्यक्ति कर रिटर्न तैयारकर्ता के कार्य के हकदार नहीं हैं। (i) कोई भी अनुसूचित बैंक का अधिकारी जिसमें कर निर्धारिती चालू खाता रखता है या अन्य नियमित व्यवहार करता है। (ii) कोई भी कानूनी पेशावर जो भारत के किसी भी सिविल कोर्ट में अभ्यासी है। (iii) एक लेखाकार।
कर रिटर्न तैयारकर्ताओं के लिए शैक्षिक योग्यता	एक व्यक्ति, जो किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री रखता है या जिसने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैण्टस ऑफ इण्डिया द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेकरेटीस् ऑफ इण्डिया या द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटैण्टस ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित इन्टरमीडियट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, कर रिटर्न तैयारकर्ता के रूप में पात्र होगा।
आय रिटर्न तैयारकर्ता द्वारा आय के रिटर्न की तैयारी और प्रस्तुत करना है।	एक योग्य व्यक्ति, अपने विकल्प पर एक कर रिटर्न तैयारकर्ता द्वारा इसे तैयार करने के बाद किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के तहत अपनी आय का रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, निम्नलिखित पात्र व्यक्ति (एक व्यक्ति या एक HUF) कर रिटर्न तैयारकर्ता द्वारा एक कर निर्धारण वर्ष के लिए आय का रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर सकता है : (i) जो पिछले वर्ष के दौरान व्यापार या पेशा कर रहा है तथा पिछले वर्ष के लिए व्यवसाय या पेशे के खातों को धारा 44AB या अन्य किसी कानून के तहत ऑडिट कराने की आवश्यकता है; या (ii) जो पिछले वर्ष के दौरान भारत में निवासी नहीं है। एक पात्र व्यक्ति कर तैयारकर्ता द्वारा किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए आय का संशोधित रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर सकता है। जब तक उसने उस या किसी अन्य कर रिटर्न तैयारकर्ता के माध्यम से उस कर निर्धारण वर्ष के लिए आय का वास्तविक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।
नोट : यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 139B(3) के अनुसार "विशिष्ट वर्ग या व्यक्तियों का वर्ग" का एक कर्मचारी कर रिटर्न तैयारकर्ता के रूप में काम करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसलिए कि यह माना जाता है कि कम्पनी के कर्मचारी और व्यक्ति जिनके खाते धारा 44AB या उस समय किसी अन्य प्रभावित कानून के तहत ऑडिट होना अनिवार्य होता है (चूंकि वे निर्दिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं), कर रिटर्न तैयारकर्ता के रूप में काम करने के योग्य होंगे।	

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 3

श्रीमती हेतल ब्यूटी पार्लर के व्यवसाय में है, उसने अपने खातों को धारा 44AB में 31.03.2020 वित्त वर्ष के लिए अंकेक्षण कराया है उसकी कुल आय A.Y. 2020-21 की ₹ 3,35,000 है। वह TRP के माध्यम से अपना रिटर्न प्रस्तुत करना चाहती है। क्या वह ऐसा कर सकती है?

हल (Solution)

धारा 139B में TRP द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करने की योजना है लेकिन उन पर लागू नहीं हैं जिनके खाते धारा 44AB में ऑडिट होने हैं। अतः हेतल TRP से A.Y. 2019-20 के रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर सकती।

16. CBDT की प्रस्तुत करने की शक्ति PC रिटर्न के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रिटर्न प्रस्तुत करने की शक्ति [धारा 139C और 139D] [Power of CBDT to Dispense with Furnishing Documents Etc. with the Return and Filing of Return in Electronic Form (Sections 139C & 139D)]

(i) धारा 139C में CBDT उन वर्ग या वर्गों के व्यक्ति लिए नियम बना सकते हैं जिन्हें रिटर्न के साथ दस्तावेज, विवरण, प्राप्ति, प्रमाण पत्र, ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि रिटर्न के साथ प्रस्तुत नहीं करने हैं। अन्यथा इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत रिटर्न के साथ–साथ प्रस्तुत होना आवश्यक है।

(ii) हालांकि माँग पर कर निर्धारण अधिकारी से पहले उक्त दस्तावेज, बयान, रसीदें, प्रमाण पत्र ऑडिट की रिपोर्ट या अन्य किसी दस्तावेज को जारी करना होगा।

(iii) धारा 139 D में CBDT को निम्न शक्तियाँ दी गयी हैं।

(a) वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप रिटर्न भरनी है

(b) वह प्रारूप व विधि जिसमें रिटर्न इलेक्ट्रिॉनिक फार्म में प्रस्तुत होगी।

(c) वे दस्तावेज, ब्याज, रसीदें प्रमाण पत्र और ऑडिट की रिपोर्ट जो रिर्टन के साथ नहीं प्रस्तुत करने बल्कि कर निर्धारण अधिकारी की मांग पर प्रस्तुत करते हैं।

(d) वह कम्प्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसमें रिटर्न भेजना है।

17. आय रिटर्न के सत्यापन हेतु अधिकृत व्यक्ति (धारा 140) [Persons Authorised to Verify Return of Income (Section 140)]

इस धारा में उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया है जो धारा 139 की आय रिटर्न को सत्यापित करने के लिए अधिकृत हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	करदाता	परिस्थिति	अधिकृत व्यक्ति
1.	व्यक्तिगत	(i) (iii) व (iv) से भिन्न परिस्थिति	व्यक्ति स्वयं
		(ii) जहाँ वह भारत से अनुपस्थित है	व्यक्ति स्वयं, या कोई व्यक्ति उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति से वैध अटार्नी पावर रखने वाला (ऐसी पावर रिटर्न के साथ लगी होनी चाहिए।
		(iii) जहाँ वह मानसिक रूप से अपने कार्यों को करने में अक्षम है।	उसका संरक्षक, या अन्य कोई व्यक्ति उसकी ओर से काम करने में सक्षम
		(iv) जहाँ अन्य किसी कारण से व्यक्ति के लिए रिटर्न को सत्यापित करना संभव नहीं	उसकी ओर से अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास वैध अटार्नी पावर हो (ऐसी पावर रिटर्न के साथ लगी हो)
(2)	HUF	(i) व (iii) के क्षेत्र से बाहर परिस्थितियाँ	कर्ता
		(ii) जहाँ कर्ता भारत से अनुपस्थिति हो	HUF का अन्य कोई वयस्क व्यक्ति
		(iii) जहाँ कर्ता मानसिक रूप से अपने कार्यों को करने में अक्षम हो	HUF का अन्य कोई वयस्क व्यक्ति
3.	कम्पनी	(i) नीचे (ii) से (v) तक की परिस्थितियों से बाहर	कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक
		(ii) (a) जहाँ प्रबन्ध निदेशक अपरिहार्य कारणों से रिटर्न को सत्यापित न कर सके,	कम्पनी का कोई निदेशक
		(b) जहाँ कोई प्रबन्ध निदेशक न हो	कम्पनी का कोई निदेशक

© The Institute of Chartered Accountants of India

		(iii) जहाँ कम्पनी भारत में निवासी न हो	जो व्यक्ति कम्पनी से वैध अटॉनी पावर रखता हो (पावर रिटर्न के साथ लगी हो)
		(iv) (a) जहाँ कम्पनी का समापन हो रहा हो (कोर्ट आदेश की या अन्य किसी वजह से); या	परिसमापक
		(b) जहाँ कोई व्यक्ति कम्पनी की सम्पत्तियों का आदाता नियुक्त हो	परिसमापक
		(v) जहाँ कम्पनी का प्रबन्ध किसी कानून के तहत केन्द्र या राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया हो।	कम्पनी का मुख्य अधिकारी
		(vi) जहां दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड 2016 के तहत निर्णय प्राधिकरण द्वारा जहां संगठित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिये आवेदन किया गया है।	**इस तहत की निर्णय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त दिवाला पेशेवर**
4.	फर्म	(i) नीचे (ii) की परिस्थितियों से बाहर	फर्म का प्रबन्धकर्ता साझेदार
		(ii)	अवयस्क से भिन्न कोई साझेदार
		(a) जहाँ किसी अपरिहार्य कारण से प्रबन्धकर्ता साझेदार रिटर्न का सत्यापन न कर सके; या	
		(b) जहाँ प्रबन्धकर्ता साझेदारी न हो	अवयस्क से भिन्न कोई साझेदार
5.	LLP	(i) में न आने वाली परिस्थितियाँ नीचे)	नामित साझेदार
		(a) जहाँ किसी अपरिहार्य कारणों से नामित साझेदार रिटर्न का सत्यापन न कर सके	LLP का कोई साझेदार
		(b) जहाँ कोई नामित साझेदार न हो	LLP कोई भी साझेदार
6.		स्थानीय निकाय	मुख्य अधिकारी

© The Institute of Chartered Accountants of India

7.	राजनीतिक दल [धारा 139 (4B) में संदर्भित]		ऐसे दल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चाहे उसे सचिव या अन्य किसी पदनाम से जाना जाये)
8.	अन्य कोई संघ		संघ का कोई सदस्य या मुख्य अधिकारी
9.	अन्य कोई व्यक्ति		वह व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से काम करने में सक्षम हो

18. स्वयं कर निर्धारण (धारा 140A) [Self-Assessment (Section 140A)]

(1) **आय विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व ब्याज व फीस का भुगतान**

जहाँ अंतर एलिया (INTER Alia) धारा 139 के तहत आवश्यक किसी भी रिटर्न को प्रस्तुत करने के आधार पर देय कर खाते में लेने के बाद।

(i) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार पूर्व में भुगतान कर की राशि

(ii) स्रोत पर कर कटौती या कर का संग्रहण

(iii) धारा 89 के तहत दावा किए गए कर की राहत

(iv) धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति के लिए प्रभार्य कोई कर क्रेडिट निर्धारिती विवरणी की प्रस्तुति से पूर्व अग्रिम कर के भुगतान में विलम्ब या कोई त्रुटि या विवरणी की प्रस्तुति में किसी विलम्ब के लिए इस धारा के किसी प्रावधान के तहत देय ब्याज और शुल्क के साथ ऐसे कर के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) **कर दाता द्वारा भुगतान राशि के समायोजन का क्रम**

जहाँ करदाता द्वारा भुगतान राशि धारा 140A(1) में भुगतान योग्य कर से कम हो तो इस दशा में भुगतान की गई राशि से सबसे पहले फीस, फिर ब्याज व अन्त में देय कर से समायोजित की जाएगी।

(3) **धारा 234A में ब्याज**

उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, धारा 234A के तहत देय ब्याज की गणना रिटर्न में घोषित कुल आय पर कर की राशि पर की जायेगी, उसमें से निम्न राशि घटेगी :

(i) अग्रिम कर, यदि कोई हो, तो उसका भुगतान,

(ii) स्रोत्र पर कर कटौती या कर संग्रह।

(iii) धारा 89 के तहत प्रभार्य कर की कोई सुविधा

(iv) धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति किया जाने वाला प्रभार्य कर कोई कर क्रेडिट

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4) **धारा 234 B के अन्तर्गत ब्याज**

धारा 234 B में ब्याज की गणना निर्धारित कर के ऊपर या अग्रिम कर की निर्धारित कर से कमी की राशि पर की जाएगी।

इस उद्देश्य से निर्धारित कर का अर्थ है रिटर्न में घोषित कुल आय पर में से TDS व TCS को घटाकर जो कुल आय का भाग है।

— किसी आय पर स्रोत पर कर का संग्रहण या कटौती जो कुल आय का भाग होगी;

— धारा 89 के तहत प्रभार्य कर की कोई सुविधा

— धारा 115D के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति किया जाने वाला प्रभार्य कोई कर क्रेडिट।

(5) **कर, ब्याज व फीस न चुकाने के परिणाम**

यदि कोई करदाता, कर, ब्याज या फीस की सम्पूर्ण या आंशिक राशि भुगतान करने में विफल रहता है तो वह दोषी करदाता माना जायेगा तथा इस अधिनियम के समस्त प्रावधान यथानुसार होंगे।

त्वरित दोहराना

धारा 139 A में PAN को अनिवार्यता अंकित करना

किसी आय कर अधिकारी से पत्र व्यवहार तथा सभी रिटर्न के अन्दर	अधिनियम के अधीन किसी राशि के चालान द्वारा भुगतान हेतु	CBDT द्वारा राजस्व के हित में निर्दिष्ट सभी लेन–देन व उनसे सम्बन्धित दस्तावेजों में

धारा 139 AA के अन्तर्गत आधार संख्या अंकित करना

1.7.2017 के बाद PAN के आवण्टन हेतु आवेदन तथा रिटर्न पर	यदि आधार संख्या न हो तो नामांकन के समय जारी नामांकन ID संख्या अंकित करना होगा	आधार संख्या की सूचना निर्धारित अधिकारी को देना

धारा 140 A में स्वयं कर निर्धारण

देयकर = कुल आय पर कर–अग्रिम कर का भुगतान–TDS/TCS — धारा 15JD के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति किया जाने वाला प्रभार्य कर जमा	**रिटर्न के साथ भुगतान का साक्ष्य संलग्न करना** देयकर + u/s 234A ब्याज + 234B व 234C + देय फीस u/s 234F	**भुगतान राशि के समायोजन का क्रम** फीस, ब्याज व कर

© The Institute of Chartered Accountants of India

अभ्यास
(EXERCISE)

प्रश्न (Question) **1**

कारण सहित बताइए कि निम्न कथनों से आप सहमत हैं या असहमत

(a) सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) की रिटर्न का सत्यापन कोई भी साझेदार कर सकता है।

(b) 31.03.2020 *को समाप्त वर्ष के लिए कुल ₹ 160 का आवर्त (Turnover) है श्री A के मामले में धारा 139(1) के तहत रिटर्न दााखिल करने की समय सीमा, चाहे धारा 44AD के तहत अनुमानित आय की पेशकश करने का विकल्प हो या ना,* 30 *सितम्बर, 2020 है।*

उत्तर (Answer)

(a) **असहमत** : LLP की रिटर्न का सत्यापन नामित साझेदार करेगा अन्य कोई साझेदार निम्न परिस्थितियों में कर सकता है :

(i) जहाँ किसी अपरिहार्य कारण से नामित साझेदार सत्यापित न कर सके।

(ii) जहाँ नामित साझेदार नहीं हो।

(b) **असहमत** : यदि A धारा 44AD के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमानित आय आधार पर कर का विकल्प अपनाता है तो 139(1) में रिटर्न की नियत तिथि 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए 31 जुलाई, 2020 होगी। यदि A अनुमानित आय आधार 44AD अन्तर्गत विकल्प का चयन न करे तो उसे 44AB धारा के अनुरूप खातों का अंकेक्षण कराना होगा क्योंकि उसका कुल विक्रय 1 करोड़ से ज्यादा है। तो रिटर्न की नियत तिथि 30 सितम्बर, 2020 होगी।

प्रश्न (Question) **2**

विनीत A.Y.2020-21 की आय के लिए 12.09.2020 को रिटर्न प्रस्तुत करता है, जिसमें वेतन, मकान सम्पत्ति की आय तथा बैंक ब्याज शामिल है। 21.01.2021 को उसे लगा कि उसने बचत बैंक खाते के ब्याज पर धारा 80 TTA की छूट का दावा नहीं किया है। वह अपनी आय रिटर्न को संशोधित करना चाहता है। क्या वह ऐसा कर सकता है? समझाइए। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि उसे भूल का पता 21.04.2021 को लगता?

उत्तर (Answer)

क्योंकि विनीत की आय में वेतन, मकान सम्पत्ति तथा अन्य स्त्रोतों की आय शामिल है तो वह उस श्रेणी में नहीं आता जिसमें उसके खाते का अंकेक्षण आयकर अधिनियम, 1961 या अन्य किसी अधिनियम के तहत करना आवश्यक हो। अतः इस मामले में रिटर्न भरने की नियत तिथि धारा 139(1) के अन्तर्गत A.Y. 2020-21 कि लिए 31 जुलाई, 2020 होगी। क्योंकि विनीत ने रिटर्न 12.09.2020 को फाइल की है, अतः यह धारा 139(4) में देरी से रिटर्न है।

धारा 139(5) के तदनुसार, 139(1) के अन्तर्गत या 139(4) के अन्तर्गत देरी से रिटर्न में संशोधन हो सकता है। अतः धारा 139(4) देरी से रिटर्न भी संशोधित हो सकती है अतः विनीत इस रिटर्न को जनवरी 2021 में संशोधित कर सकेगा ताकि 80 TTA की छूट का दावा कर सके क्योंकि संशोधित रिटर्न की समय सीमा A.Y. की अन्तिम तारीख है अर्थात 31.03.2021 होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

हालांकि यदि उसे मूल का पता 21.04.2021 को चलता है क्योंकि यह तिथि A.Y. 2020-21 के बाद की है अर्थात् 31.03.2021 तो वह रिटर्न को संशोधित नहीं कर सकता है।

प्रश्न (Question) **3**

आयकर अधिनियम, 1961 के सन्दर्भ में कारण सहित बताइए कि क्या निम्न कथन असत्य या सत्य

(i) कर निर्धारण अधिकारी किसी भी व्यक्ति को चाहे, उस पर कर देय न हो PAN का आवण्टन कर सकता है।

(ii) जहाँ HUF कर्ता का भारत में नहीं हो, तो रिटर्न को परिवार के किसी पुरुष सदस्य के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

उत्तर (Answer)

(i) **सत्य है** : धारा 139 (2) के अन्तर्गत A.O. किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी आय कर योग्य न हो, उसके लेन–देन की प्रकृति को देखते हुए PAN का आवण्टन निर्धारित प्रक्रिया व विधि से कर सकता है।

(ii) **असत्य है** : धारा 140 (B) के अनुसार यदि HUF का कर्ता भारत में न हो तो आय रिटर्न का सत्यापन परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य कर सकता है। चाहे पुरुष हो या स्त्री।

प्रश्न (Question) **4**

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार हानि के रिटर्न का वर्णन कीजिए। क्या किसी हानि को बिना रिटर्न फाइल किए आगे ले जा सकते हैं?

उत्तर (Answer)

हानि की रिटर्न में कुछ हानि दर्शाई जाती है। धारा 80 के तदनुसार कुछ निर्दिष्ट हानियों को आगे नहीं ले जा सकते हैं जिनकी रिटर्न धारा 139(3) के अनुरूप फाइल की गई हो।

धारा 139(3) के अनुसार हानि को आगे तभी ले जाना संभव है जब हानि की रिटर्न को निर्दिष्ट समय में फाइल किया गया हो।

निम्नलिखित हानियों को धारा 139(3) में शामिल किया गया है—

- धारा 72(1) के अन्तर्गत व्यवसाय की हानि को आगे ले जाना
- धारा 73 (2) के अन्तर्गत सट्टेबाजी व्यवसाय की हानि को आगे ले जाना।
- धारा 73A(2) के अन्तर्गत किसी विशिष्ट व्यापार की हानि को आगे ले जाना।
- धारा 74 (1) के अन्तर्गत पूंजी लाभ शीर्षक की हानि को आगे ले जाना।
- धारा 74A(3) के अन्तर्गत हुई घुड़दौड़ के रखरखाव व स्वामित्व की मानी जाने वाली हानि को आगे ले जाना।

लेकिन धारा 71(B) के अन्तर्गत मकान सम्पत्ति से हानि व अनावशोषित हो। हानि को रिटर्न फाइल किए बिना भी आगे ले जा सकते हैं। यदि हानि का रिटर्न धारा 139(3) के अन्तर्गत फाइल नहीं किया गया है तो

© The Institute of Chartered Accountants of India

आओ दोहराएँ
(LET US RECAPITULATE)

धारा	विवरण	
139(1)	**कर दाताओं को रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता** (i) फर्म व कम्पनियाँ (चाहे लाभ हो या हानि या शून्य आय हो) (ii) वह निवासी व्यक्ति जो साधारण निवासी न हो, किसी सम्पत्ति के भारत से बाहर होने या भारत से बाहर किसी खाते में अधिकृत हस्ताक्षरी हो चाहे कर योग्य आय हो या नहीं। (iii) व्यक्ति, HUFs/AOPs या BOIs और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जिसकी कुल आय अध्याय VI A और धारा 54,54B, 54D, 54EC या 54F के प्रावधानों को प्रभाव दिये बिना सामान्य कर मुक्त सीमा से अधिक होगी। **(iv) कोई व्यक्ति जो गत् वर्ष के दौरान–** **— बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक के साथ बनाए हुए एक या एक से अधिक चालू खाते में ₹ 1 करोड़ से अधिक जमा हो** **— विदेशी के लिए यात्रा के लिए किसी अन्य व्यक्ति या स्वयं के लिए ₹ 2 लाख से अधिक व्ययित व्यय** **— विद्युत के उपभोग के प्रति ₹ 1 लाख से अधिक व्ययित व्यय।** **— ऐसी अन्य निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति।** **आय विवरणी फाइल करने की नियत तिथि** **कर निर्धारण वर्ष का 30 सितम्बर, उस दशा में यदि कर दाता :** (i) कम्पनी हो (ii) ऐसा व्यक्ति (कम्पनी से भिन्न) जिसके खातों का अंकेक्षण होना है, या (iii) ऐसी फर्म का साझेदार जिसके खातों का अंकेक्षण होना है। के लिए नियत तिथि 31 जुलाई होगी तथा अन्य कर दाताओं (उन कर दाताओं से भिन्न जिन्हें 92E में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है जिनके लिए कर निर्धारण वर्ष नियत तिथि 30 नवम्बर होगी।)	
	आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर ब्याज यदि कर दाता नियत तिथि के बाद रिटर्न फाइल करे या फाइल ही न करे तो धारा 234A में ब्याज देय होगा। कर निर्धारिती को देय तिथि के बाद निम्न तिथियों तक @1% प्रतिमाह या उसके भाग के लिए ब्याज देनी होगी :	
	परिस्थितियाँ	**निम्न तिथियों के अन्त तक**
	जहाँ रिटर्न नियत तिथि के बाद	रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि

© The Institute of Chartered Accountants of India

	फाइल की जाए	
	जहाँ रिटर्न न भरी जाए	कर निर्धारण सम्पूर्ण होने की तिथि
	हालांकि जब करदाता कर का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले कर देता है तो वह धारा 234A के अन्तर्गत ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।	
234F	**आय विवरणी प्रस्तुत न करें पर फीस** जहां एक व्यक्ति जो धारा 139 के अन्तर्गत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करता है, लेकिन वह धारा 139(1) के अन्तर्गत निर्धारित तिथि तक रिटर्न प्रस्तुत असफल रहता है तो, वह फीस के द्वारा राशि का भुगतान करेगा वह राशि— (1) ₹ 5000 यदि रिटर्न निर्धारित वर्ष में 31 दिसम्बर या पहले प्रस्तुत किया गया है। (2) ₹ 10,000 अन्य किसी दशा में लेकिन यदि व्यक्ति की आय ₹ 5 लाख से अधिक न हो तो फीस ₹ 1,000 से अधिक नहीं	
139(3)	**हानि की रिटर्न** कोई भी करदाता किसी हानि को तभी आगे ले जा सकता है। पूर्ति कर सकता है जब रिटर्न 139(3) के अन्तर्गत हानि की रिटर्न नियत तिथि तक फाइल की हो। **अपवाद** मकान सम्पत्ति से हानि व अनावशोषित ह्रास की राशि के नियत तिथि से पूर्व हानि की रिटर्न भरे बिना भी आगे ले जा सकता हैं।	
139(4)	**रिटर्न में देरी** गतवर्ष की आय रिटर्न u/s 139(1) नियत तिथि तक प्रस्तुत न करने पर निम्न समय से पहले कभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं : (i) प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष के अन्त में, या (ii) कर निर्धारण के पूरा होने पर, जो पहले हो इस तरह देरी से रिटर्न को प्रस्तुत कर सकते हैं।	
139(5)	**संशोधित रिटर्न** यदि रिटर्न में प्रस्तुति के पश्चात् किसी मूल या अशुद्धि का पता लगे तो करदाता संशोधित रिटर्न निम्न समय तक कर सकता है। (i) प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष के अन्त में (ii) कर निर्धारण के पूर्व होने पर जो पहले हो अतः देरी से रिटर्न में संशोधन हो सकता है।	
139A	**स्थायी खाता संख्या** (PAN) निम्नलिखित निर्धारित सभी लेन–देन से सम्बन्धित दस्तावेजों में PAN अंकित करना अनिवार्य है :	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(a) आयकर अधिकारी को भेजी जाने वाली सभी रिटर्न तथा पत्र व्यवहार में (b) अधिनियम के अधीन किसी भुगतान के सभी चालानों में (c) CBDT द्वारा निर्दिष्ट सभी ऐसे लेन–देन जो राजस्व के हित में निर्धारित किए जाएं उदाहरण के लिए–मोटर वाहन की खरीद और बिक्री, एक बिल या एक समय में बिलों के अधीन एक होटक को ₹ 50,000 से ज्यादा का नकद में भुगतान आदि।
139AA	**आधार संख्या अंकित करना** 1.07.2017 पर या बाद PAN आबण्टन के आवेदन पत्रों में व आय विवरणियों में किसी व्यक्ति द्वारा। यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या न हो तो नामांकन ID को अंकित करना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक को या पहले निर्धारित अधिकारी को आधार संख्या सूचित करना। आधार संख्या के साथ PAN की परस्परता–प्रत्येक व्यक्ति जिसे अपने PAN अंकित करने या सूचित करने या प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी वह 1.09.2019 की प्रभावी तिथि से PAN की जगह अपनी आधार संख्या प्रस्तुत, सूचित या अंकित कर सकता है यदि उसे — PAN न दिया गया हो लेकिन वह आधार संख्या धारित करता हो — PAN दिया गया हो और धारा 139AA(2) में निहित आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित प्राधिकरण को आधार संख्या सूचित करता हो।
140A	**स्वयं कर निर्धारण** धारा 139 के अनुसार प्रस्तुत किसी आधार पर निम्न को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कर देय हो– (i) पूर्व में कर भुगतान (ii) TDS या TCS (iii) धारा 89 के तहत प्रभार्य कर के लिए कोई सुविधा (iv) धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति के लिए दावा किया जाने वाला प्रभार्य कोई कर क्रेडिट धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले कर दाता को ऐसी कर की राशि फीस व ब्याज के साथ जो रिटर्न न भरने या देरी से भरने पर देय है, उसका भुगतान करना होगा। जहाँ किसी करदाता के द्वारा धारा 140A(1) के तहत भुगतान राशि ब्याज, फीस व कर की सकल राशि से कम हो तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि का समायोजन प्रथम फीस, द्वितीय, ब्याज तथा शेष राशि को देय करने से किया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

स्वयं ज्ञान की जाँच करें
(TEST YOUR KNOWLEDGE)

1. आकाश जिसकी उम्र 32 वर्ष है उसे दीर्घकालीन पूँजी लाभ से ₹ 25,000 जिसे समता अंशों में हस्तांतरण कर दिया, जो धारा 112A में कर मुक्त है तथा 80C में कटौती ₹ 80,000 धारा 54 के अन्तर्गत है। उसे आय रिटर्न फाइल करना होगा, A.Y. 2020-21 में यदि उसकी आय अधिक है:

   (a) ₹ 1,40,000

   (b) ₹ 1,15,000

   (c) ₹ 1,20,000

   (d) ₹ 2,20,000

2. किसी कम्पनी के लिए रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि है A.Y. 2020-21 के लिए

   (a) 31 जुलाई, 2020

   (b) 30 सितम्बर, 2020

   (c) 31 अक्टूबर, 2020

   (d) 31 अगस्त 2020

3. विभिन्न संस्थाओं के लिए रिटर्न भरने की तारीख आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित है:

   (a) एक नियत तिथि

   (b) दो नियत तिथियाँ

   (c) तीन नियत तिथियाँ

   (d) चार नियत तिथियाँ

4. कम्पनी की रिटर्न का सत्यापन कर सकेंगे

   (a) प्रबन्ध निदेशक या निदेशक

   (b) सामान्य प्रबन्धक

   (c) सचिव

   (d) प्रबन्धक

5. करदाता संशोधित रिटर्न कर निर्धारण की समाप्ति या निम्न अवधि के समाप्ति से पहले फाइल कर सकता है, जो भी पहले हों।

   (a) प्रासंगिक कर–निर्धारण वर्ष के अन्त से 1 वर्ष

   (b) प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष के अन्त से 2 वर्ष

© The Institute of Chartered Accountants of India

(c) प्रासंगिक कर–निर्धारण वर्ष के अन्त से 6 माह

(d) प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष के अन्त में

6. धारा 139 (1) के अनुसार लाभ या हानि जो हो फिर भी निम्न की दशा में अनिवार्य रिटर्न भरनी होगी–

(a) केवल कम्पनियाँ

(b) केवल फर्म

(c) कम्पनी व फर्म दोनों

(d) सभी करदाता

7. X की A.Y. 2020-21 की कुल आय ₹ 7 लाख है। वह कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अपनी आय की विवरणी 13 जनवरी, 2021 को फाइल करता है। उसे फीस अदा करनी होगी :

(a) u/s234 F. ₹ 1,000

(b) u/s 234 F ₹ 5,000

(c) u/s 234 F ₹ 10,000

(d) कोई फीस देय नहीं

8. Y. की A.Y. 2020-21 की कुल आय ₹ 4,50,000 है। वह कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय की विवरणी 2 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत करता है। क्या उसे फीस अदा करनी होगी–

(a) u/s 234 F ₹ 1,000

(b) u/s 234 F ₹ 5,000

(c) u/s 234 F ₹ 10,000

(d) कोई फीस देय नहीं

9. Mr. A एक वेतन भोगी व्यक्ति है; जिनकी A.Y. 2020-21 के लिए कुल आय ₹ 8 लाख है। वह A.Y. 2020-21 के लिए अपनी आय का रिटर्न 28 अगस्त, 2020 को प्रस्तुत करते हैं। वह शुल्क के लिए उत्तरदायी होंगे–

(a) धारा 234F के तहत ₹ 1,000

(b) धारा 234F के तहत ₹ 5,000

(c) धारा 234F के तहत ₹ 10,000

(d) कोई शुल्क के उत्तरदायी नहीं होंगे

© The Institute of Chartered Accountants of India

10. एक कम्पनी को व्यवसाय से हानि ₹ 1,30,000 है। रिटर्न फाइल करने की निर्धारित A.Y. 2020-21 लिए होगी–

(a) 31 जुलाई, 2020

(b) 30 सितम्बर, 2020

(c) 31 अक्टूबर, 2020

(d) 31 अगस्त, 2020

11. हानि को आगे ले जाने के लिए आय रिटर्न को निर्धारित तिथि से पहले अनिवार्य फाइल करना होगा इस कथन की शुद्धता की जाँच कीजिए।

12. निम्न की दशा में रिटर्न के सत्यापन हेतु कौन व्यक्ति अधिकृत है,

(a) HUF

(b) कम्पनी

(c) साझेदारी फर्म

उत्तर (Answer)

1. (a), **2.** (b), **3.** (c), **4.** (a), **5.** (d), **6.** (c), **7.** (c), **8.** (a), **9.** (b), **10.** (b)

© The Institute of Chartered Accountants of India